न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र सं. 79 / 2017

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमती चम्पादेवी पत्नि चिमनारामजी आयु व्यस्क जाति मीणा निवासी मालियों का वास भाटकडा सिरोही तह. सिरोही जि.सिरोही		1– तेजाराम पुत्र दरगाजी जाति मीणा आयु व्यस्क नि.काम्बेश्वर रोड काम्बेश्वर कॉलोनी शिवगंज जि.सिरोही 2– सीता पत्नि खुमारामजी 3– नेमाराम पुत्र खुमारामजी 4– चन्दा पुत्री खुमारामजी 5– कालुराम पुत्र खुमारामजी 6– सोनाराम पुत्र खुमारामजी 7– अमीया पुत्री खुमारामजी सभी आयु व्यस्क जातियान मीणा निवासीयान सरूपनगर मीणावास सिरोही तह.व जिला सिरोही 8– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थीया की ओर से विद्वान वकील श्री पदमाराम चौहान
2– अप्रार्थीगण संख्या 2 से 7 तक की ओर से विद्वान वकील मीनाक्षी गौतम
3– अप्रार्थी संख्या 8 स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार

राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत वास्ते प्राप्त करने कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 02 –1–2018

प्रार्थीया ने जरिये वकील यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 तक का वास्ते प्राप्त करने कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 10–3–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थीया के खातेदारी हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही द्वितीय तहसील व जिला सिरोही मे आई हुई है जिसका खसरा नंबर 3996 रकबा 1.5100 हैक्टेयर है के पास खसरा नंबर 3995 रकबा 0. 3300 हेक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के खातेदारी की आई हुई है। जिससे अप्रार्थीगण प्रार्थीया के पडौसी खातेदार है। वास्ते सबूत हेतु उपरोक्त सभी खसरा नंबरान की जमाबंदी एवं नक्शा की प्रतिलिपियॉ इस प्रार्थनापत्र के संलगन है। प्रार्थीया के खातेदारी हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही द्वितीय तहसील व जिला सिरोही मे आई हुई है जिसका खसरा नंबर 3996 रकबा 1.5100 हैक्टेयर है के पास खसरा नंबर 3995 रकबा 0.3300 हेक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के खातेदारी की दर्ज है परन्तु बंदोवस्त के दौरान बंदोवस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक तरीके से प्रार्थीया के उपरोक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 3996 के नक्शे के बीच मे लाईन खींचकर एक और दूसरा खसरा नंबर 3996 अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के नाम खातेदारी खसरा नंबर राजस्व नक्शे में गलत रूप से दर्शाया

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

→ Continue Page-2

जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के खसरा नंबर 3995 दो जगह दर्ज कर त्रुटी की गई है। प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नंबर 3996 का दो भागों मे विभाजन कर एक हिस्सा लापरवाही पूर्वक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज कर खसरा नंबर 3995 नक्शे मे दर्ज कररने से प्रार्थीया की कृषि भूमि का आधा हिस्सा ही शेष बचा और आधा हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के नाम से नक्शे मे तरमीम किया गया जो प्रार्थीया की कृषि भूमि मे खसरा नंबर 3995 गलत दर्ज होने से उक्त खसरा नंबर को हटाने/हटाया जाने हेतु प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राजस्थाान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेकर्ड दुरूस्ती हेतु इस न्यायालय मे प्रकरण विवाराधीन है। प्रार्थीया की कृषि भूमि के खसरा नंबर 3996 मे अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के नाम नक्शे मे खसरा नंबर 3995 गलत दर्ज होने पर अप्रार्थीगण उक्त प्रार्थीया की कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने हेतु आमादा है और अप्रार्थीगण प्रार्थीया की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा व खडाई करने व झगडा फसाद करने पर तत्पर है। प्रार्थीया की कृषि भूमि के नक्शे मे मात्र बंदोवस्त त्रुटी मात्र से अप्रार्थीगण हक अधिकार जताते है इसलिये प्रार्थीया को झगडा फसाद करने हेतु आमादा है जो प्रार्थीया को उनके शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त मे दखलंदाजी करने हेतु आमादा है जिससे प्रार्थीया के लिये यह आवश्यक हो गया कि प्रार्थीया के कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि मे अवरोध/दखलंदाजी नही करें/इस आशय की अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञ के पाबंद करावे कि प्रार्थीया को उनके कब्जे काश्त की कृषि भूमि से बेदखल नहीं करें एवं न ही शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त मे दखलंदाजी करें । इसलिये उक्त प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। अतः प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करावें कि अप्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे प्रवेश न करें ।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व सलग्न वादग्रस्त कृषि भूमि की मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही 2 तहसील सिरोही जिला सिरोही की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खसरा नंबर 3996 रकबा 1.5100 हेक्टेयर किस्म बारानी 1 तथा वर्तमान नक्शा की प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्ट्यॉ आश्वस्त होने से दिनांक 10–3–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 तक को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 तक के नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 10–4–2017को प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये । इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 10–11–2017 को अप्रार्थी संख्या 1 को नोटिस तामिल होने के बावजूद निरन्तर सुनवाई पेशी पर न्यायालय मे हाजिर नही होने व सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 को हाजिर होने हेतु न्यायालय द्वारा बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद स्वंय या इनके प्रतिनिधि वकील कोई भी न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश पारित किये गये तथा वकील अप्रार्थी संख्या 2 3/4 7 व वकील अप्रार्थी संख्या 3/5/6 द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया ।

सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)

इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 17–11–2017 को वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 से 7 की की ओर

Continue Page-3

से जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया तथा उक्त जवाब की प्रति वकील प्रार्थीया को उपलब्ध करवाई गई । वकील अप्रार्थीगण का संक्षेप मे तथ्यात्मक जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने अपने उक्त जवाब के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक का कथन असत्य होने से अस्वीकार है तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 का कथन भी असत्य होने से अस्वीकार कर निवेदन किया कि प्राथ्रीया के खातेदारी हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही 2 तहसील सिरोही मे आई होना अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 के उत्तर मे निवेदन किया कि खसरा नंबर 3996 की भूमि से लगती हुई कृषि भूमि खसरा नंबर 3996 रकबा 0.33 हेक्टेयर होना व उसकी खातेदारी अप्राथ्रीगण संख्या एक ता सात के नाम होना स्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक तेजाराम की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके उत्तराधिकारी को रेकर्ड पर लाये बगैर इस वाद मे आगे कार्यवाही कानूनन काबिल चलने के नही है। प्रार्थनापत्र के चार का कथन अस्वीकार कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नंबर 3995 रकबा 0.33 हेक्टेयर सही रूप से दर्ज है व मौके पर कब्जा यथावत अप्रार्थीगण का निरन्तर चला आ रहा है व अप्रार्थीगण इस भूमि मे निरन्तर खेती करते रहे है। राजस्व नक्शे की दुरूस्ती का वाद स्थायी निषेधाज्ञा की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत करना विधि विरूद्व है एवं प्रार्थी इस वाद मे चाही गयी राहत प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या पांच के उत्तर मे निवेदन किया किइस पद की हकीकत अस्वीकार है। मौके पर अप्रार्थीगण का जिस कदर कब्जा है उसी माफिक रेकर्ड मे व नक्शे मे अंकन है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा की गई तथाकथित भूल के लिये प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट के अर्न्तगत परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 से 9 के सम्बन्ध मे इन पदो की हकीकत गलत होने से अस्वीकार कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया की खसरा नंबर 3996 की तथाकथित कृषि भूमि पर कभी बेदखल करने का प्रयास नही किया है और न ही झगडा फसाद किया है और न ही दखलंदाजी हेतु आमादा हुये है। प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व बिना किसी कारण व आधाार के प्रस्तुत किये जाने से खाारिज योग्य है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया के साथ कभी भी झगडा फसाद नही किया एवं न ही मारपीट हेतु आमादा हुये है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण जो खसरा संख्या 3995 की भूमि की खातेदार कृषक एवं जो भूमि राजस्व रेकर्ड मे उनके नाम दर्ज है के विरूद्व प्रार्थीया को न तो स्थाई व न अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त होती है। खातेदार के विरूद्व प्रार्थीया का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का वाद परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। अतः अप्रार्थीगण संख्या दो से सात का निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र मय व्यय खारिज किये जाने का आदेश फरमावें ।

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दि 19—12—2017 को अप्रार्थी संख्या 8 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा इस प्रकरण मे स्टेट फोर्मल पक्षकार होने तथा वादग्रस्त कृषि भूमि से कोई राजकीय हित प्रभावित नही होने से अप्रार्थी संख्या 8 के जवाब की आवश्यकता नही होने से अप्रार्थी संख्या 8 स्टेट का जवाब बंद करने का पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन करने से अप्रार्थी संख्या 8 स्टेट का जवाब न्यायालय द्वारा बंद किया गया । तथा विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थीया तथा वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page-4

वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस मे उक्त प्रार्थनापत्र मे अकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सेटलमेण्ट ने खसरा नंबर 3995 दो जगह दर्ज कर दिया है तथा अप्रार्थीगण दक्षिणी हिस्सा का भी कब्जा करना चाहता है हम खसरा नंबर 3996 के खातेदार है तथा उत्तर की भूमि हमारी ही है। अतः प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार फरमाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के विरूद्व वाद क तानिर्णय इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करावे कि अप्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे प्रवेश नही करें ।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खसरा नंबर 3995 दोनो खसरे की भूमि हमारी खातेदारी मे है। खातेदार होने से प्रार्थीया प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर. टी.एक्ट का खातेदार के विरूद्व नही ला सकती 1 हमारा उक्त दोनो खसरो की भूमि पर कब्जा है। प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र विधि विरूद्व होने से खारीज करवाना फरमावें ।

हमने विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र,जवाब व संलग्न राजस्व रेकर्ड प्रतियों,नक्शा ईत्यादि का गहनता से अध्ययन कर उस पर मनन किया । वकील प्रार्थीया व वकील अप्रार्थीगण की अंतिम बहस पर भी गंभीरता से मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से यह पाया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र के संलग्न वर्तमान नक्शा को देखने पर स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थीया की उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर की कृषि भूमि के पास अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की खातेदारी खसरा नंबर 3995 रकबा 0.33 हेक्टेयर दर्ज है परन्तु बंदोवस्त के दौरान बंदोवस्त अधिकारियों/कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक तरीके से प्रार्थीया के उपरोक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 3996 के नक्शे के बीच मे लाईन खींचकर एक और दूसरा खसरा नंबर 3995 अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 केनाम खातेदारी खसरा नंबर राजस्व नक्शे मे गललत रू‍प से दर्शाया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के खसरा नंबर 3995 दो जगह दर्ज कर त्रुटी की गई है। प्रार्थीया द्वारा उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु अलग से प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट का इस न्यायालय मे पेश किया है जो विचाराधीन है। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 ने अपने जवाब मे कथन किया है कि खसरा नंबर 3996 की भूमि से लगती हुई कृषि भूमि खसरा नंबर 3996 रकबा 0.33 हेक्टेयर होना व उसकी खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के नाम का होना स्वीकार किया है तथा मौके पर अप्रार्थीगण का जिस कदर कब्जा है उसी माफिक रेकर्ड मे व नक्शे मे अंकन होना बताया है लेकिन उक्त जवाब मे अंकित तथ्यों की पुष्टि हेतु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व राजस्व रेकर्ड की प्रतियॉ पेश नही की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अर्न्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के मामले मे संबंधित पक्षकार को अपने पक्ष मे प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण जो प्रथम दृष्टयॉ टाईटल एवं प्रथम दृष्टयॉ आधिपत्य पर आधारित हो,प्रमाणित करना होता है। विचारण इस प्रकरण मे प्रार्थीया के पक्ष मे प्रथम दृष्टयॉ टाईटल संलग्न जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खसरा नंबर 3996 रकबा 1.5100 हेक्टेयर किस्म बारानी 1 तथा वर्तमान नक्शा की प्रतियों से व उक्त कृषि आराजी पर कब्जा काश्त आधिपत्य दोनो बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष मे जाना जाहिर होता है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीया विवादित कृषि भूमि की रेकर्डेड खातेदार है तथा रेकर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page-5

विधिसम्मत नही है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 बाबत प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 को ताफैसला मूल वाद इस अमर कि अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीया के खातेदारी की मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही द्वितीय तहसील व जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 3596 रकबा 1.5100 हेक्टेयर मे प्रवेश नही करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

02/1/18

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

यह निर्णय आज दिनांक 2–1–2018 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

02/1/18

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही